

अध्याय I

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन चयनित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं आर्थिक क्षेत्र के विभागों और स्वायत्तशासी निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा में उजागर हुए मामलों से सम्बन्धित है।

अनुपालना लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों के व्ययों से जुड़े लेनदेनों की जाँच से सम्बन्धित है। यह सुनिश्चित करेगी कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों की अनुपालना की जा रही है। निष्पादन लेखापरीक्षा यह जाँच करती है कि क्या कार्यक्रम या गतिविधि के उद्देश्यों को मितव्ययतापूर्वक, कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से हासिल किया गया है।

प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधान सभा के समक्ष लाना होता है। लेखापरीक्षा मानकों के लिए यह आवश्यक है कि रिपोर्टिंग का वस्तु स्तर, लेनदेनों की प्रकृति, मात्रा एवं महत्व के अनुसार होना चाहिए। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से यह प्रत्याशा की जाती है कि इनसे कार्यपालक सुधारात्मक कार्यवाही करने योग्य बन सके। इससे वे अच्छे शासन में भागीदारी के लिए वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए नीतियां एवं निर्देश बना सके।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा आयोजना एवं आकार की व्याख्या के अतिरिक्त, चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कमियां, लेनदेनों की लेखापरीक्षा के दौरान लिए गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों एवं विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही के संकलन को प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन के अध्याय II में नर्मदा नहर परियोजना में सिंचाई क्षमता का सृजन की निष्पादन लेखापरीक्षा में उजागर निष्कर्ष शामिल है। अध्याय III में सरकारी विभागों की अनुपालना लेखापरीक्षा में उजागर हुए आक्षेप शामिल हैं।

1.2 लेखापरीक्षा की रूपरेखा

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर द्वारा आर्थिक क्षेत्र के 12 विभागों एवं उनके स्वायत्तशासी निकायों के खर्चों की लेखापरीक्षा की जाती है। ये विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों, जो कि आयुक्तों/उपशासन सचिवों एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहयोग किये जाते हैं, द्वारा नियंत्रित हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान किये गये व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका 1 में दी गयी है:

तालिका-1: व्यय की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व व्यय			
सामान्य सेवायें	23,339	27,868	31,016
समाजिक सेवायें	31,486	37,754	43,349
आर्थिक सेवायें	20,436	28,920	31,874
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	249	_*	_***
योग	75,510	94,542	1,06,239
पूँजीगत एवं अन्य व्यय			
पूँजीगत परिव्यय	13,665	16,103	21,985
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	811	701	36,602
लोक ऋण की अदायगी	4,116	4,960	4,959
आकस्मिकता निधि	-	300	-
लोक लेखा संवितरण	1,05,605	1,22,061	1,40,432
योग	1,24,197	1,44,125	2,03,978
कुल योग	1,99,707	2,38,667	3,10,217

स्रोत: संबंधित वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

* केवल ₹ 9 लाख ** केवल ₹ 10 लाख

1.3 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से ली गयी है।

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर द्वारा राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों को शामिल करते हुए आर्थिक क्षेत्र के विभागों के व्ययों की लेखापरीक्षा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवाओं की शर्तें) अधिनियम 1971 तथा इसके अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम, 2007 के अन्तर्गत की जाती है। निष्पादन एवं अनुपालना लेखापरीक्षा के लिये सिद्धान्त एवं विधियाँ, सीएजी द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं नियम पुस्तिकाओं में निर्दिष्ट की गई है।

1.4 कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान का संगठनात्मक ढांचा



सीएजी के निर्देशों के अन्तर्गत कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों को शामिल करते हुये राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र के

विभागों की लेखापरीक्षा तीन समूहों द्वारा संचालित करता है।

1.5 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया की शुरुआत सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों/स्वायत्तशासी निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि के जोखिम प्रदर्शन के आंकलन से होती है। जोखिम आंकलन, व्यय, गतिविधियों के महत्व, वित्तीय शक्तियों के सौपने का स्तर, समग्र आंतरिक नियन्त्रणों का आंकलन एवं भागीदारों की चिंताओं पर आधारित है। इस प्रक्रिया में गत लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी ध्यान में रखे जाते हैं।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरान्त, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समावेश करते हुए इकाई के प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं।

इकाइयों से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर उत्तर प्रेषित करने हेतु निवेदन किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटारा कर लिया जाता है या अनुपालना के लिए अग्रतर कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर किये गये मुख्य लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है।

1.6 लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

पिछले कुछ वर्षों से लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों एवं साथ ही आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता को प्रतिवेदित किया है। इन लेखापरीक्षा निष्कर्षों ने निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन एवं विभागों के कार्य को प्रभावित किया है, सरकारी विभागों/संगठनों की अनुपालना लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुई कमियों को भी प्रतिवेदित किया है।

वर्तमान प्रतिवेदन में नर्मदा नहर परियोजना में सिंचाई क्षमता का सृजन विषय पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों की योजना, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण, राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना तथा नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण विषयों पर तीन विषयक आधारित अनुपालना लेखापरीक्षा तथा 10 एकल अनुच्छेद शामिल है जिनके मुख्य बिन्दु निम्न अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

1.6.1 कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा

नर्मदा नहर परियोजना में सिंचाई क्षमता के सृजन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान एवं गुजरात राज्य की साझेदारी वाली अन्तरराज्यीय परियोजना है। नर्मदा नहर 'सरदार सरोवर बांध' से प्रारंभ होती है तथा 458 किमी गुजरात में बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में मुख्य नहर, वितरिकाओं तथा द्वितीयक नहर प्रणाली की कुल लम्बाई 1792.67 किमी है।

राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना को भारत सरकार ने जनवरी 1996 में मार्च 2003 की निर्धारित पूर्णता तिथि के साथ अनुमोदित किया। कृषि योग्य कमान क्षेत्र 1.35 लाख हैक्टर लिया गया जिसे बाद में बढ़ाकर 2.46 लाख हैक्टर कर दिया गया।

नर्मदा नहर परियोजना में कुछ अद्वितीय विशेषताएं हैं जैसे सिंचाई हेतु पानी, जल उपभोक्ता संगठनों के माध्यम से किसानों के संघ को दिया जाना, जैव-जल निकासी हेतु नहर के किनारे पौधारोपण तथा जल भराव रोकने हेतु सतही एवं भू-जल का संयुक्त उपयोग। परियोजना के महत्वपूर्ण पहलुओं के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों का नीचे उल्लेख किया गया है।

विभाग ने प्रगति प्रतिवेदनों में सिंचित क्षेत्र, परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित 2.46 लाख हैक्टर के विरुद्ध 2.15 लाख हैक्टर (87.40 प्रतिशत) दर्शाया गया था। मार्च 2016 तक मात्र 1193 डिगियों (55 प्रतिशत) का विद्युतीकरण किया गया था जिससे यह प्रदर्शित होता है कि सिंचित दिखाया गया कमान क्षेत्र वास्तव में फव्वारा या ड्रिप सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचित नहीं किया गया था। यह परियोजना का महत्वपूर्ण पहलू था। नहर, वितरिकाओं एवं माइनरों के निर्माण हेतु अधिगृहित की गई भूमि का जल संसाधन विभाग के पक्ष में उत्परिवर्तन नहीं किया गया था।

2236 गठित की जाने वाली जल उपभोक्ता संगठनों में से केवल 2145 संगठनों का गठन किया गया था तथा 1885 संगठनों को संपत्तियां यथा डिगियां, पाईपलाईन एवं मोनो ब्लॉक पंप सौंपे गये थे। वितरिका एवं परियोजना समितियों का किसी भी जलग्रहण क्षेत्र में गठन नहीं किया गया था। डिगियों के विद्युतीकरण (45 प्रतिशत) एवं जल शुल्क संग्रहण के अभाव में बड़े पैमाने पर जल उपभोक्ता संगठन गैर-क्रियाशील रहे। सहभागितापूर्ण सिंचाई प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 'राजस्थान में सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी का अधिनियम, 2000' के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में आवश्यक संशोधन नहीं किए गए। जल उपभोक्ता संगठनों द्वारा आवश्यक जल शुल्क की वसूली नहीं की गई। जल शुल्क की कम वसूली, वसूली का अभाव, जल संसाधन विभाग की निगरानी की कमी को प्रदर्शित करता है। नर्मदा मुख्य नहर, इसकी वितरिकाओं एवं माइनरों को नजदीकी किसानों, जो कि अपने पंपों द्वारा नहरों से सीधे पानी लेकर अपने खेतों की सिंचाई कर रहे थे, से पानी की चोरी की समस्या का सामना करना पड़ा।

पौधारोपण की कमी एवं परियोजना प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रजातियों के स्थान पर अन्य प्रजातियों के पौधों के रोपण के कारण, कमान क्षेत्र में जैव-जल निकासी का उद्देश्य बाधित रहा। निचले इलाकों में सतही जल एवं भूमिगत जल के संयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.1)

1.6.2 अनुपालना लेखापरीक्षा में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेप

संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों की योजना, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग को इसके अपशिष्ट, चाहे वह जलधारा, भूमि, सीवरेज या समुद्र में विसर्जित किया जा रहा हो, के निपटान से पहले पर्याप्त उपचार प्रदान करना होता है। संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों को विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्योगों से उत्पन्न होने वाले उच्छिष्ट के सामूहिक या केन्द्रीकृत उपचार के लिए एक व्यवहारिक उपचार का साधन माना जाता है। संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र विभिन्न उद्योगों के सामूहिक अपशिष्ट जल को कम इकाई लागत पर उपचार करने में सशक्त मदद करते हैं। ये अपशिष्ट जल निर्वहन मानकों के साथ सुगमता से बेहतर निगरानी और अनुपालना में भी मदद करते हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन तथा निगरानी प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने उन क्षेत्रों के लिए जहां उच्छिष्ट के समुचित उपचार के बिना बड़ी संख्या में लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योग क्रियाशील थे, संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार नहीं किया। राज्य में जल प्रदूषण में योगदान करने वाले उद्योगों की पहचान करने हेतु नियतकालिक सर्वेक्षण करने के लिए इनके पास नीति नहीं थी। सांगानेर, जयपुर में समयबद्ध तरीके से संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए मण्डल ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

पाली जिले में सभी संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों की कार्यपद्धति असंतोषजनक थी। उपचारित उच्छिष्ट जल निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं था तथा बांडी नदी में निस्तारित किया जा रहा था। भिवाड़ी में बड़ी मात्रा में सूखी खतरनाक गाद एक आवासीय क्षेत्र के निकट बिना छाया के शेड में खुली कच्ची भूमि पर पड़ी हुई थी। संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र, जोधपुर कभी भी इसकी पूर्ण क्षमता पर संचालित नहीं हुआ और औद्योगिक इकाइयों द्वारा बड़ी मात्रा में अनुपचारित जल जोजरी नदी में छोड़ा जा रहा था। संयंत्र उपचारित अपशिष्ट जल को उसी चैनल में निस्तारित कर रहा था जहां से वह अनुपचारित जल निकाल रहा था, परिणामतः उपचारित अपशिष्ट जल का अनुपचारित अपशिष्ट जल के साथ मिश्रण हो रहा था।

संचालन की सहमति/अनुज्ञप्ति, सहमति पत्र में सम्मिलित शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित किये बिना पूर्ववर्ती प्रभाव से दी जा रही थी। कोई तृतीय पक्ष निगरानी तंत्र विकसित नहीं किया गया था। निर्धारित उच्छिष्ट मानक प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने हेतु नमूनों को एकत्र और विश्लेषित करने में भारी कमी थी।

(अनुच्छेद 3.1)

राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना

राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना राजस्थान सरकार द्वारा मार्च 2005 में अनुमोदित की थी। परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के मौजूदा सिंचाई सुविधाओं का पुनरुद्धार और जल प्रबंधन एवं कृषि पद्धतियों में सुधार कर कृषि उत्पादकता बढ़ाना था जिससे कृषि आय में वृद्धि एवं गरीबी कम हो। इस क्रम में वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तीन घटक अर्थात् सिविल कार्य, तकनीकी और संस्थागत सहायता सेवाएं और परामर्श सेवाएं निर्धारित किये गये थे। इस परियोजना के कार्यान्वयन में मुख्य निष्पादन एजेंसी एवं केंद्र बिंदु जल संसाधन विभाग था। कृषि विभाग कृषि विस्तार गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी था और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी था।

अभियांत्रिकी एवं प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति में देरी के कारण सिविल कार्य घटक की गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। परिणामतः उप परियोजनाओं के पुनरुद्धार के माध्यम से, सतही जल के उपयोग का उद्देश्य, पूरी तरह हासिल नहीं हुआ। कार्यकारी एजेंसियों द्वारा बजट का कम उपयोग करने के कारण जापान इंटरनेशनल कॉ-ऑपरेटिव एजेंसी द्वारा प्रदत्त ऋण का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा सका। परियोजनाओं के समय से पूर्व बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप जल भण्डारण क्षमता और कृषि कमान क्षेत्र का कम निर्माण हुआ। वाटरकोर्स संरचनाओं का निर्माण कार्य पूरा न होने के परिणामस्वरूप पानी की बर्बादी रोकने, वांछित हद तक कृषि क्षेत्र में वृद्धि, किसानों को सिंचाई सुविधाओं का लाभ का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। जल उपभोक्ता संगठनों की जल प्रभार वसूली की विफलता के परिणामस्वरूप उप परियोजनाओं के रख-रखाव के लिए धन की अनुपलब्धता रही। सलाहकार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से संकेत दिये कि इस परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन समय से पहले था एवं योजना की सफलता के लिए वित्तीय आधार, प्रवर्तन की शक्ति और योजना को चलाने का अनुभव आवश्यक था।

(अनुच्छेद 3.2)

नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण

वर्ष 2012-13 तक नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकलचर योजना के तहत किये गये। इसके पश्चात यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जलग्रहण क्षेत्र में बहुआयामी उपचार द्वारा भूमि के अधोपतन एवं भूमी कटाव को रोकना, आद्रता की प्रवृत्ति को सुधारना, अनुकूल भूमि उपयोग प्रोत्साहित करना, बहुउद्देशीय जलाशयों को गाद से भरने को कम करना था।

जलग्रहण विकास दल गठित न किए जाने के कारण जलग्रहण समितियों का गठन बिना विषय विशेषज्ञ व्यक्तियों के किया गया। यह सुनिश्चित किये बिना कि वानस्पतिक भू-संरक्षण कार्यो ने निश्चित आकार ले लिया है, पक्की संरचनाओं का अनियोजित निर्माण किया गया। परिणामस्वरूप बहुउद्देशीय जलाशयों में सतत जल भण्डारण बढ़ाने एवं गाद रोकने का परियोजना का उद्देश्य अपूर्ण रहा। स्वयं सहायता समूहों का गठन न किए जाने से रिवोल्विंग निधि का वितरण कृषि गतिविधियां करने के लिये नहीं किया गया। लाभार्थियों का जीवन स्तर सुधारने तथा भूमिहीन व्यक्तियों के लिये आजीविका, उत्पादक प्रणाली एवं सूक्ष्म उद्योगों को विकसित करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

प्रयोक्ता समूह का गठन नहीं किया गया जिसके कारण परियोजना के तहत निर्मित परिसम्पतियों के रख-रखाव का कार्य बाधित रहा। कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जाने से पदाधिकारियों का ज्ञान एवं कौशल बढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका। कॉरपस निधि का उपयोग न किए जाने और प्रयोक्ता प्रभार एकत्रित न किए जाने से परियोजना के तहत निर्मित परिसम्पतियों के रख-रखाव का कार्य प्रभावित हुआ।

ऑन-लाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली विकसित न किए जाने के कारण जलग्रहण-वार एवं गतिविधि-वार आंकड़े वेब साइट पर नहीं डाले गये। परियोजनाओं का तृतीय पार्टी मूल्यांकन नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 3.3)

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (भाग-II) के नियम 5 (क) और (घ) का उल्लंघन कर राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित कार्यो पर प्रतिशत-प्रभार ₹ 7.44 करोड़ को अनियमित रूप से शामिल करना। नियमानुसार जब सार्वजनिक

निर्माण विभाग के अलावा अन्य एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य किया जाता है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों पर प्रतिशत प्रभार नहीं वसूला जाएगा।

(अनुच्छेद 3.4)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अन्य सड़कों से यातायात के डाइवर्जन, अतिभार का स्तर तथा सामान्य यातायात के लिये लागत अनुमानों को तैयार नहीं करने के कारण दोष निवारण अवधि समाप्त होने से पूर्व सड़क के उन्नयन पर राशि ₹ 3.99 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया।

(अनुच्छेद 3.5)

स्पान वाइज प्रगति संधारित नहीं करने के कारण ₹ 4.66 करोड़ की क्षतिपूर्ति नहीं लगाई तथा ₹ 0.44 करोड़ का मूल्य वृद्धि का अनियमित भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 3.6)

ग्रामीण गौरव पथ योजना के अन्तर्गत सड़क का निर्माण पूर्व में निर्मित सीमेंट कंक्रीट/डामर सड़क पर किया जाना था। नई सीमेंट कंक्रीट सड़क के लिये नया सबबेस या ग्राउन्ड तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ग्रामीण गौरव पथ योजना का तकमीना बनाते समय मिट्टी की खुदाई, ग्रेनुअल सब बेस का निर्माण तथा कॅम्पेक्टेड ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट को बिछाने के आइटमों को शामिल कर ₹ 2.05 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(अनुच्छेद 3.7)

समुचित कोषों की व्यवस्था के बिना, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक डामर की सड़क बनाने का कार्यदिश जारी कर दिया। इससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ₹ 1.78 करोड़ का व्यय करने के उपरान्त भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका तथा सड़क से जोड़ने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 3.8)

सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान ने तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ₹ 1.72 करोड़ की राशि का उपयोग शहरी सड़कों के संधारण पर किया। यह अनाधिकृत था क्योंकि जारी निधि ग्रामीण सड़कों के संधारण व नवीनीकरण के लिये थी।

(अनुच्छेद 3.9)

30 सड़कों में से 3 सड़कें दूसरी योजनाओं में 5 से 15 महीने पहले स्वीकृत की गयी व निर्मित की गयी थी। ये सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा

₹ 1.42 करोड़ खर्च कर दुबारा स्वीकृत की गई व निर्मित की गई जो वित्तीय औचित्यता के नियम के विरुद्ध थी।

(अनुच्छेद 3.10)

टनल की खुदाई में निकली सामग्री जैसे 'मक' मिट्टी तथा सख्त/नर्म चट्टान को शामिल करते हुए सड़क निर्माण में उपयोग लायी जानी थी। उसकी लागत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग को जमा करानी थी। वन विभाग ने खुदाई सामग्री की लागत राशि ₹ 1.52 करोड़ की मांग जारी नहीं की/वसूली नहीं की।

(अनुच्छेद 3.11)

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भूमि की समुचित देखरेख के अभाव में एवं अधिशेष भूमि के राजस्व विभाग को समर्पित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 9.12 करोड़ कीमत की भूमि पर अवैध कब्जा।

(अनुच्छेद 3.12)

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत तकनीकी अनुमानों के निर्धारण से पूर्व कार्य का आवंटन किया गया। परिणामस्वरूप ₹ 6.85 करोड़ का मूल्यवृद्धि पर परिहार्य व्यय हुआ व कार्य में पांच वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ।

(अनुच्छेद 3.13)

1.7 निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की प्रतिक्रिया

प्रारूप अनुच्छेदों को संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने हेतु उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अग्रेषित किया जाता है। उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे अनुच्छेदों को सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की सम्भावना के मध्यनजर, जो कि राजस्थान विधान सभा में उपस्थापित किया जाना है, यह वांछनीय होगा कि मामले पर उनकी टिप्पणी शामिल कर ली जाये। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षाओं/प्रारूप अनुच्छेदों पर चर्चा करने के लिए महालेखाकार के साथ बैठक आयोजित करें। तदनुसार, इस प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षा/प्रारूप अनुच्छेदों को सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को भेजे गये थे।

प्रारूप अनुच्छेदों एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सभी उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निश्चय किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं, पर एक्शन टेकन नोट्स, प्रतिवेदन के विधान सभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा कराकर जन लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल किये गये अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर बकाया एक्शन टेकन नोट्स की समीक्षा में पाया गया कि सम्बन्धित विभागों से तीन एक्शन टेकन नोट्स बकाया थे (दिसम्बर 2016)।

